सं० 11014/18/2025 - रा.भा.(पत्रिका)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग
......

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली - 01
दिनांक: 31 .12. 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा भारती पत्रिका के आगामी अंक 172 (अक्तूबर, 2025 - मार्च, 2026) का 'पूर्वोत्तर भारत' विशेषांक के रूप में प्रकाशन।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व, पूर्वोत्तर, उत्तर–1 एवं उत्तर–2 क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 20 फरवरी, 2026 को अगरतला (त्रिपुरा) में प्रस्तावित है, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस विशेष अवसर पर राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती का आगामी अंक 172 (अक्तूबर, 2025 - मार्च, 2026) **'पूर्वोत्तर भारत'** विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

02. उक्त विशेषांक के लिए निम्नलिखित विषयों पर सरल और सहज हिंदी में उत्कृष्ट लेख/शोध लेख आमंत्रित किए जाते हैं:

1. 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर भारत;
2. विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्वोत्तर भारत की भूमिका;
3. पूर्वोत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं एवं राजभाषा हिंदी के मध्य परस्पर समन्वय;
4. राजभाषा हिंदी: पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक सेतु के रूप में;
5. स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्वोत्तर भारत का योगदान;
6. पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता: परंपराएँ, उत्सव और लोककला;

03. विशेषांक में प्रकाशन के लिए लेखों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग का होगा। लेख मंगल फॉन्ट में टाइप किए हुए, व्याकरणिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से सही तथा तथा अधिकतम 3000 शब्दों तक हो सकते हैं। शोध से संबंधित लेखों में शब्द सीमा 5000 तक हो सकती है। लेखक अपने नाम, पता, ईमेल एवं संपर्क नंबर सहित इस आशय का एक स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें कि लेख मौलिक एवं अप्रकाशित है और इसे अन्यत्र प्रकाशनार्थ नहीं भेजा गया है। कृपया लेख (फोटो सहित) दिनांक 16.01.2026 सांय 5.30 बजे तक ई मेल आई डी patrika-ol@nic.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

04. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

31/12/25

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(पत्रिका)

प्रतिलिपि : एन आई सी अनुभाग को इस अनुरोध सहित कि सभी के सूचनार्थ इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।